न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –04/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024/7

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रेवन्तराम पुत्र रामरखराम जाति–जाट,निवासी–कचरास तहसील–जायल,जिला–नागौर		तहसीलदार, जायल, राज0

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री शैलेन्द्र कालवी।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :–22/05/2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,जायल द्वारा प्रकरण संख्या 67/2023 पटवारी हल्का खादूकलां बनाम रेवन्तराम में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2023 से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.01.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपील मीमो में दर्ज कथनों को पुनः दोहरात हुवे मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलांट के विरूद्व पटवारी हल्का खादूकलां ने अपीलांट द्वारा खसरा नं. 261 गेर मुमकिन रास्ता रकबा 0.0072 हैक्टेयर वाके मौजा हिरासनी पर वर्ष 2023 संवत 2080 में अतिचार करने बाबत रिपोर्ट पेश करने पर उक्त प्रकरण संख्या 67/2023 धारा 91 राज० भू राजस्व अधिनियम का दर्ज किया जाकर नोटिस जारी करने का आदेश हुआ जिसका नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने पर तारीख पेशी दिनांक 26.7.2023 पर अपीलांट की ओर से वकालतनामा पेश करवाया जाकर जवाब हेतु समय लिया गया व आगामी पेशी दिनांक 28.8.2023 को नियत की गयी, तत्पश्चात तहसीलदारजी अन्य कार्यो में व्यस्त रहने से जब कार्यालय में जाकर सम्पर्क करने पर यही कहा जाता था कि आपको प्रकरण की आयन्दा तारीख पेशी बता दी जायेगी, परन्तु अपीलांट को तारीख पेशी नहीं बतायी जाकर इस प्रकरण में दिनांक 20.12.2023 को अपीलांट के अभिभाषक को अनुपस्थित बताते हुवे निर्णय पारित किया गया हैं,जो आदेश जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया होने से अपास्त/निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि प्रकरण में अति सुक्ष्म अतिक्रमण बताया गया है जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा दुबारा उसकी मौजूदगी में नाप चोप करने का निवेदन भी तहसीलदारजी से किया गया था। जिस पर तहसीलदारजी ने मात्र यह लिख कर निर्णय पारित कर दिया कि अतिक्रमण न होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य नहीं पाई गयी है। जबकि इस प्रकरण में प्रार्थी पटवारी हल्का थे जिनको ठोस साक्ष्य से यह साबित करना था कि अपीलांट का अतिक्रमण है मगर इस संबंध में न तो पटवारी हल्का के बयान लिये गये, न ही अपीलांट को जिरह का अवसर दिया गया, न ही अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति का अंकन आदेशिका में किया गया, इस प्रकार यह निर्णय मनमाना पूर्ण व विधि विरूद्व पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यहां यह कहना भी आवश्यक होगा कि विवादित स्थान पर अपीलांट की दीवार अरसो पुरानी बनी हुई है जो उसकी खातेदारी की भूमि की सीमा में है। अगर टीम द्वारा नाप चोप करवाया जाता तो

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

पूरी स्थिति न्यायालय के समक्ष आ जाती परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हमारे विरूद्व यह एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर यह आदेश पारित किया हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि प्रकरण में खसरा नं. 261 के चिपता अपीलांट व उसके भाई की खातेदारी का खेत खसरा नं. 246 आया हुआ है जो खेत दोनो भाईयों के सह कब्जे काश्त का होते हुवे भी सहखातेदार मनोहरराम को कोई नोटिस व सूचना दिये बिना ही प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया है। जो विधि के सामान्य सिद्वांतो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया था मात्र प्रारंभिक आपतियां ही पेश की गयी थी उनके निस्तारण के बाद अपीलांट सम्पूर्ण जवाब पेश करता, लेकिन मातहत तहसीलदार न्यायालय ने प्रारंभिक आपति को ही जवाब मान कर निर्णय पारित करने में भूल की है जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार जी ने प्रकरण में बिल्कुल ही माइंड अप्लाई नहीं किया है तथा इतना सुक्ष्म अतिक्रमण जिसकी लम्बाई चौड़ाई का कोई अंकन पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है तथा नाप का कोई आधार बिन्दु भी नहीं लिया गया है जिसके अभाव में उपरोक्त अतिक्रमण रिपोर्ट को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है विशेषतः जब तक पटवारी के बयान होकर उससे जिहर का कोई अवसर नहीं दिया गया हो? ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा ही रास्ता पर अतिक्रमण किया हो, ऐसी कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है, मात्र पटवारी हल्का की सरसरी गलत रिपोर्ट को ही आधार मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाकर प्रकरण को दुबारा मातहत तहसीलदार जायल को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावें कि अपीलांट को पूर्ण साक्ष्य सबूत जवाब देही का अवसर देकर, विधिपूर्ण सुनवाई करके, राजस्व निरीक्षक व टीम से अपीलांट व दीगर सहखातेदार की मौजूदगी में सम्पूर्ण रास्ता का फिक्स बिन्दु से नाप चोप करवा कर पटवारी हल्का के बयान लेकर व अपीलांट को जिरह का अवसर देकर व प्रकरण के आवश्यक पक्षकार को पक्षकार दर्ज कर सुनवाई कर मेरीट पर निर्णय पारित किया जावें।

राजपेरोकार श्री ओमप्रकाश पुनियां का दोराने बहस यह कथन था कि अपीलांट द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2023 को निर्णय पारित किया गया हैं,जो सही निर्णय पारित किया गया हैं। अपीलांट को प्रकरण में पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया हैं। अतिकमित भूमि अपीलांट की स्वामित्व की भूमि होने का कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा पत्रावली में पेश नहीं किया गया हैं। इसलिए राजकीय रास्ता की भूमि पर किये गये अतिकमण के सम्बन्ध में दिया गया यह निर्णय विधिवत् हैं। इसलिए अपील अपीलांट मय खर्चा खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी हल्का खाटूकला की रिपोर्ट दिनांक 05.07.2023 के अनुसार श्री रेंवतराम पुत्र रामरखराम, जाति–जाट निवासी–कचरास, तहसील–जायल द्वारा ग्राम हिरासनी के खसरा नम्बर 261 रकबा 0.0072 हैं0 किस्म जमीन गै0मु0 रास्ता पर सम्वत् 2080 में बाड़ व पत्थर की दीवार करके अनाधिकृत कब्जा करना दर्शाया गया हैं। भू0अभिलेख निरीक्षक,खाटूकलां द्वारा जांच कर दिनांक 05.07.2023 को अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट के साथ खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत् 2080 भी पेश की हैं तथा पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार,जायल को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.07.2023 में यह स्पष्ट अंकन किया हैं कि ग्राम हिरासनी के खसरा नम्बर 261गै.मु. रास्ता का

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

सीमाज्ञान करके अतिक्रमण को चिन्हित किया गया तथा पाये गये अतिक्रमी के खिलाफ धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई।

पटवारी हल्का,खाटूकलां द्वारा पेश की गई अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत खसरा परिवर्तित निर्धारण में अतिक्रमीत भूमिका नाप यथा पूर्व,पश्चिम,उत्तर,दक्षिण अंकित किया हैं तथा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता अंकित की हैं। जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित हैं कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 261 गै0मु0 रास्ता की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया गया हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह कथन हैं कि उनके द्वारा दिनांक 27.09.2023 को न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक आपत्तियॉ दर्ज करते हुवे न्यायालय से यह निवेदन किया गया था कि मामला में किसी वरिष्ठ राजस्व निरीक्षक की मौजदूगी में व गैर सायल की मौजूदगी में नाप करके रिपोर्ट मंगवाया जावें तथा यह भी कथन था कि प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट को जबाब पेश करने हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया गया हैं। इसलिए प्रकरण में जबाब लिया जावें। यह भी कथन था कि अपीलांट का अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहते हुवे भी उनकी अनुपस्थित दर्शाते हुवे एक तरफा निर्णय पारित किया गया हैं। विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि खसरा नम्बर 246 के सहखातेदार को इस प्रकरण में पक्षकार तक नहीं बनाया गया हैं।

विद्वान वकील अपीलांट के बहस में दिये गये इन्तर्को के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 07.07.2024 को गैर सायल के विरूद्व प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 26.07.2023 को इस प्रकरण में तारीख पेशी रखी गई। तारीख पेशी दिनांक 26.07.2023 को इस प्रकरण में गैर सायल के अभिभाषक उपस्थित होकर जबाब पेश करने हेतु समय चाहा हैं। उसके उपरान्त दिनांक 28.08.2023,14.09.2023,18.09.2023 को इस प्रकरण में तारीख पेशी रही परन्तु उनके द्वारा जबाब पेश नहीं कर केवल मात्र एतराज फाईल किया गया हैं,जबकि इस प्रकरण में गैर सायल को जबाब पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया हैं। तथा दफा 91 आर.एल.आर.एक्ट. के प्रकरण में पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं किया गया हैं,इसलिए ओर जबाब पेश करने हेतु समय दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। वैसे इस प्रकरण में मौखिक साक्ष्य लिये जाने की आवश्यकता भी नहीं हैं। विद्वान वकील अपीलांट का यह तर्क की पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताये गये नक्शे में भूमि की स्थिति एवं वास्तविक नक्शे में दर्शित भूमि व मौका पर भूमि की स्थिति भिन्न हैं। इस सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध खसरा परिवर्तन निर्धारण सम्वत् 2080 का अवलोकन किया गया जिसमें अतिक्रमित भूमि का नाप अंकित किया गया तथा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने से इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित हैं कि ग्राम सिरासणी के खसरा नम्बर 261 की गै0मु0 रास्ता का सीमाज्ञान करके अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। तथा पाये गये अतिक्रमी के खिलाफ धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई। इस प्रकार इस रिपोर्ट से विद्वान वकील अपीलांट द्वारा उठाये गये सभी बिन्दूओं की स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। तथा अलग से राजस्व कार्मिकों की नियुक्ति की जाकर रिपोर्ट मंगवाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। जहॉ तक सहखातेदार को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न हैं प्रथम में तो सहखातेदार द्वारा पक्षकार बनाये जाने या फिर नहीं बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई एतरात/आवेदन–पत्र पेश नहीं किया गया हैं,द्वितीय में पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया हैं कि सीमाज्ञान करके अतिक्रमण को चिन्हित किया गया हैं तथा पाये गये अतिक्रमी के खिलाफ धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई हैं,जिससे यह प्रकट हैं कि जब अतिक्रमण अपीलांट का ही पाया गया तो अन्य को इस प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का,खादूकलां द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा ग्राम सिरासणी के ख0नं. 261 गै0मु0 रास्ता जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि हैं पर अतिक्रमण कर पत्थर की दिवार बनाई जाकर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी के विरूद्व की गई कार्यवाही विधिवत हैं। अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि उनके स्वामित्व की भूमि होने सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किया गया हैं,जबकि खसरा परिवर्तन निर्धारण के अनुसार खसरा नम्बर 261 की भूमि की किस्म राजकीय गै0मु0 रास्ता हैं। इसलिए तहसीलदार,जायल द्वारा प्रकरण संख्या 67/2023 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2023 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा तहसीलदार,जायल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2023 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड पुनः लौटाया जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर
नागौर